प्रचार की सीमा

आम चुनाव की घोषणा होने के साथ ही देशभर में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है और इसका असर दिखने भी लगा है। शहरों में लगे चुनाव प्रचार के पोस्टर, बैनर और होर्डिंगों को हटाने का काम शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने कैबिनेट सचिव, राज्यों के मुख्य सचिवों और सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी कर आचार संहिता कड़ाई से लागू करवाने को कहा है। आयोग ने साफ हिदायत दी है कि केंद्र और राज्य सरकारों की सभी आधिकारिक वेबसाइटों से मंत्रियों, राजनेताओं या राजनीतिक दलों के संदर्भों वाली सामग्री को तत्काल हटा दिया जाए। आयोग ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर खासतौर से चेतावनी दी है कि इन पर ऐसी कोई सामग्री नहीं प्रकाशित और प्रसारित नहीं हो, जिसमें सरकारी उपलब्धियों का बखान हो। चुनावी माहौल बनाने और प्रचार के लिए शहरों को पोस्टर, बैनर और होर्डिंगों जैसी प्रचार सामग्रियों से पाट देना पुराना चलन है और ये शहरों को बदरंग भी करते हैं। राजनीतिक दलों की रैलियों में वाहनों के काफिले चलते हैं। जगह-जगह होने वाले रोड-शो और सभाओं की वजह से कहीं न कहीं आम लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए आयोग सख्त कदम उठाता है, ताकि मतदाताओं को प्रभावित करने और लुभाने वाले अनुचित प्रयासों को रोका जा सके। चुनाव आचार संहिता लागू करने का मकसद राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और सरकारों को एक अनुशासन में बांधना है, ताकि किसी भी रूप में चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित न किया जा सके और चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सकें। आचार संहिता पर अमल कराना सरकारों और स्थानीय प्रशासन और पुलिस का काम होता है। लेकिन अक्सर व्यवहार में देखने में आता है कि कई बार प्रशासन इसमें खरा नहीं उतर पाता और उस पर पक्षपात के आरोप लगते हैं। खासतौर पर रैलियों और चुनावी सभाओं के लिए जगह की इजाजत देने को लेकर विवाद सामने आते हैं। चूंकि आचार संहिता का दायरा काफी व्यापक होता है, इसलिए इस पर अमल कराना भी चुनौतीभरा काम है। लेकिन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए यह जरूरी भी है, वरना राजनीतिक दल बेलगाम होकर चुनावी प्रक्रिया को धक्का पहुंचाने में कसर नहीं छोड़ते। मसलन, चुनाव प्रचार के लिए निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों के खर्च की सीमा तय कर रखी है। इसके बाद भी यह देखने में आता है कि राजनीतिक पार्टियां, उनके उम्मीदवार और कार्यकर्ता सीमा से ज्यादा खर्च करते हैं और इसके लिए गैरकानूनी तरीकों का सहारा लेते हैं। इसमें ज्यादातर मामले पकड़ में नहीं आ पाते।

आचार संहिता का सबसे महत्त्वपूर्ण पक्ष यह है कि कोई भी राजनीतिक दल और उम्मीदवार ऐसा कोई काम न करे जो कानून-व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करता हो, धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ता हो। इसलिए राजनीतिक दलों को यह सख्त हिदायत दी जाती है कि वे चुनावी सभाओं में ऐसी कोई उकसावे वाली बात न करें जिससे सांप्रदायिक माहौल बिगड़े और चुनाव पर असर पड़े। कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का काम है, ऐसे में उसकी जिम्मेदारी सामान्य दिनों के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। देश में चुनावी माहौल जोर पकड़ चुका है और चुनाव जीतने के लिए कोई भी दल कोई कसर नहीं छोड़ेगा। चुनावी सभाओं में आरोप-प्रत्यारोप, एक-दूसरे पर कीचड़ उछालने और बदजुबानी करने की घटनाएं जिस तरह से बढ़ी हैं वह चिंता का विषय है। यह राजनीतिक दलों को ही सोचना है कि वे ऐसा कोई काम न करें जिससे आचार संहिता का उल्लंघन होता हो और स्वतंत्र या निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया बाधित होती हो।

अपराध का दायरा

किसी भी सभ्य और संवेदनशील समाज में हर अपराध न सिर्फ किसी व्यक्ति, परिवार, समुदाय या वस्तु को नुकसान पहुंचाने से जुड़ा होता है, बल्कि आमतौर पर वह मानवीय मूल्यों के भी खिलाफ होता है। लेकिन अगर कोई इस धता बता कर आपराधिक रास्ता अख्तियार करने वाले किसी व्यक्ति के सामने न तो मानवीय मूल्यों को बचाना कोई सवाल होता है, न वह किसी को होने वाले जान-माल के नुकसान के बारे में सोचता है। बल्कि अपराध की राह पर बढ़ चुका व्यक्ति कई बार यह सोचने की भी जहमत नहीं उठाता कि वह जिसे नुकसान पहुंचाने जा रहा है, वह कौन है! यों अपराध की दुनिया में हत्या को एक आम मामले की तरह देखा जाता है। लेकिन देश भर में होने वाली घटनाओं के बीच कुछ वारदात ऐसी होती हैं, जिन्हें आम नहीं माना जाता है और जो किसी खास सामाजिक परिस्थिति का संकेत देती हैं। सोमवार को राजधानी दिल्ली में एक दंपति की हत्या की ऐसी ही घटना सामने आई, जिसके ब्योरे ने लोगों को चौंकाया है। खबरों के मुताबिक दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में एक युवती पर अपने माता-पिता की हत्या करने का आरोप है, क्योंकि वे संपत्ति उसके नाम करने को तैयार नहीं थे।

यह हैरानी की बात है कि युवती को अगर अपने माता-पिता से संपत्ति लेने की जरूरत थी तो उसने इसके लिए कानूनी रास्ता अख्तियार क्यों नहीं किया! जबकि यह तथ्य है कि पिता की संपत्ति में बेटे और बेटी का बराबरी के स्तर पर कानूनी अधिकार है। यानी अगर किसी बेटी को अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा सहज तरीके से नहीं मिलता है तो इसके लिए कानून का सहारा लिया जा सकता है। लेकिन सवाल है कि दिल्ली की ताजा घटना में बेटी के सामने आखिर ऐसी कौन-सी स्थिति आ गई कि उसे संपत्ति में हिस्सा लेने या उसे हड़पने के लिए हत्या करना आखिरी विकल्प लगा! हालांकि जायदाद पर कब्जे के मसले पर परिवारों में आपसी झगड़े और यहां तक कि हत्या हो जाने की घटना कोई नई प्रवृत्ति नहीं है। लेकिन ऐसी वारदात या आपराधिक घटनाओं में पुरुषों की भूमिका ही मुख्य रहती आई है। इस घटना में खास बात यह है कि दो बच्चों के साथ बेटी अपने पति से अलग रह रही थी और अपने मां-बाप की संपत्ति अपने नाम कराना चाहती थी। आरोप के मुताबिक यह संभव नहीं होने पर उसने अपने एक साथी के साथ मिल कर पहले पिता और बाद में मां की हत्या कर दी।

जाहिर है, यह समाज में पलती विकृतियों का विस्तार और उसका असर है कि अपराध का दायरा अब उसकी सामान्य प्रवृत्तियों से इतर भी देखने में आ रहा है। बेटी को लेकर आम धारणा यही है कि बेटों के मुकाबले वे अपने मां-पिता के सुख-दुख का ज्यादा खयाल रखती हैं। मां-पिता के जीवन में सामान्य दुख-तकलीफ से लेकर हर संकट में अगर साथ खड़ा होने का मौका आता है तो अपने सुख और सुविधा को छोड़ कर बेटियां ही पहले आगे आती हैं। लेकिन इस घटना से कि समाज में बढ़ते अपराधों के साथ-साथ सामान्य मानवीय संवेदनाओं से लैस लोगों पर भी इसके नकारात्मक असर पड़ने लगे हैं। अपना वाजिब हक लेने के लिए कानूनी रास्ता अपनाने के बजाय कुछ लोग अब अलग-अलग शक्लों में अपराध का सहारा लेने लगे हैं। यहीं यह ठहर कर सोचने की जरूरत है कि सतही तौर पर दिखने वाले विकास की चकाचौंध के बरक्स हम मानवीय मूल्यों के साथ सामाजिक विकास के किस पायदान पर खड़े हैं।

कल्पमेधा

परिश्रम से पूर्व देखना चाहिए कि उसका फल क्या मिलेगा। प्राप्त होने वाले फल से बहुत अधिक परिश्रम हो तो परिश्रम का त्याग करना जरूरी है।

–चाणक्य

विदेशी दूल्हे पर शिकंजा

मोनिका शर्मा

> विडंबना ही है कि ऐसे उत्पीड़न और धोखेबाजी के बावजूद हमारे यहां दूसरे देशों में बसे परिवारों में बेटियां ब्याहने को लेकर गजब का उन्माद देखने को मिलता है। खुशियों की चाह में खोये अभिभावक उन परिवारों की छानबीन तक नहीं करते। विदेशी संस्कृति को अपनाने के बावजूद अपनी जड़ों से जुड़े होने की बात करने वाले भावी दूल्हे के परिवार बहुओं के सम्मान की कोई चिंता नहीं करते।

अनिवासी भारतीय (एनआरआइ) दूल्हों पर शिकंजा कसने के लिए राज्यसभा में विधेयक पेश किया जा चुका है। एनआरआइ दूल्हों के लिए न केवल शादी के पंजीकरण बल्कि दूसरी तरह की कानूनी सख्ती करने के बारे में लंबे समय से विचार चल रहा है। शादी के बाद अप्रवासी दूल्हों द्वारा पत्नियों को छोड़ देने की घटनाएं लंबे समय से जारी हैं। इतना ही नहीं, शादी कर विदेश जाने वाली बेटियों के साथ दुर्व्यवहार की खबरें भी आए दिन आती रहती हैं। अब ऐसा करने वाले एनआरआइ दूल्हों का पासपोर्ट जब्त किया जा सकेगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। ऐसे मामलों को लेकर बीते साल विदेश मंत्रालय ने भारत आकर धोखाधड़ी से शादी करने वाले फरार एनआरआइ पतियों के खिलाफ जारी समन, वारंट तामील करने की बात कही थी, जिसके तहत अगर आरोपी कोई जवाब नहीं देता है तो उसे वांछित अपराधी घोषित कर उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। कानून मंत्रालय, गृह मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई थी। बीते साल विदेश मंत्रालय ने बताया था कि उसे एनआरआइ पतियों से परेशान भारतीय महिलाओं की ओर से पिछले तीन साल में तीन हजार से ज्यादा शिकायतें मिली थीं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए भगोड़े एनआरआइ पतियों के खिलाफ वारंट जारी करने और उन्हें समन भेजे जाने के लिए एक पोर्टल तैयार करने और भारत में मौजूद संपत्ति को जब्त करने जैसे कड़े कदम उठाने की बात कही गई थी।

पिछले दिनों पंजाब राज्य महिला आयोग ने भी कहा था कि अनिवासी भारतीयों द्वारा पत्नियों को छोड़ने के तीस हजार से ज्यादा कानूनी मामले राज्य में लंबित हैं। राज्य महिला आयोग ने केंद्र से इस संकट पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने का आग्रह करते हुए उन महिलाओं की दुर्दशा के मुद्दे को उठाया था, जो एनआरआइ दूल्हों की धोखाधड़ी व शोषण की शिकार हुई हैं। यह वाकई चिंतनीय है कि अकेले पंजाब में ही तीस हजार से ज्यादा ऐसे न्यायिक मामले लंबित हैं। आयोग का कहना था कि संबंधित एनआरआइ दोषी करार होने के दायरे में है तो इसके बाद उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया तत्काल शुरू हो और जब तक वह अपनी पत्नी को मुआवजा नहीं दे दे तब तक उसका पासपोर्ट जब्त रखा जाए। ऐसा कठोर कदम उठाने से बहुत सी जिंदगियां बचाने में मदद मिलेगी और यह उन लोगों के लिए भी चेतावनी होगी जो इसके परिणाम से डरे बगैर अपने निहित स्वार्थों के लिए भारत के कानून का दुरुपयोग करते हैं। निस्संदेह केंद्र और राज्य सरकारों की गंभीरता और सख्ती इन शोषित महिलाओं के लिए मददगार साबित हो सकती है।

पंजाब ही नहीं अन्य राज्यों से भी ऐसे हजारों अनिवासी भारतीय परिवार हैं, जो दूसरे देशों में जाकर बस गए हैं, विशेषकर कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में अनिवासी भारतीय बड़ी संख्या में बसे हुए हैं। इनमें से कई परिवार आज भी अपने बेटों की शादी करने के लिए दुल्हन तलाशने भारत आते हैं। ऐसे वैवाहिक रिश्तों का सबसे दुखद पक्ष यह है कि जीवन भर के लिए जुड़ने वाले इस रिश्ते को लेकर कई भावी दूल्हों और उनके परिवार की मंशा शुरुआत से ही गलत होती है। नतीजतन, ऐसे अनगिनत मामले सामने आ चुके हैं जिनमें विदेशों में जा बसे लड़के भारतीय लड़कियों से शादी तो करते हैं, लेकिन शादी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर नहीं होते। वे इस जुड़ाव को निभाने के लिए नहीं, बल्कि अपने फायदे के लिए भुनाने की सोच रखते हैं। शादी के सालों बाद तक दुल्हन यहां इंतजार करती रहती है, लेकिन वे उनकी खोज-खबर तक नहीं लेते। यही वजह है कि अकेलेपन की पीड़ा और प्रताड़ना बिना किसी गलती के ही बेटी और उसके परिवार के हिस्से आ रही है।

यह बेहद चिंतनीय है कि ऐसे मामले तेजी से बढ़ ही रहे हैं। पंजाब ही नहीं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात जैसे राज्यों में भी ऐसी बेटियां बड़ी संख्या में हैं जिनकी शादी एनआरआइ परिवार में हुई, पर वे विदाई का इंतजार ही करती रह गईं। हालत यह है कि विदेश मंत्रालय के पास एनआरआइ पति द्वारा लड़की को छोड़ दिए जाने या प्रताड़ित किए जाने की हर दिन औसतन तीन शिकायतें आती हैं। यही वजह है कि भारतीय महिलाओं की एनआरआइ पुरुषों से शादी के बाद आ रही समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने कुछ समय पहले भारतीय दंड संहिता (सीआरपीसी) में बदलाव लाने पर भी विचार करने की बात कही थी। इस साल की शुरुआत में ही विदेश मंत्रालय ने कानून और गृह मंत्रालय से इस बात पर विचार करने को कहा था कि क्या अदालती समन की अनदेखी करने वाले एनआरआइ दूल्हों को भगोड़ा घोषित करने का प्रावधान किया जाना चाहिए? ऐसे मामलों में मुकदमा दर्ज होने और न्यायिक कार्यवाही शुरू होने के बाद भी एनआरआइ पति कानून की पकड़ में नहीं आ पाते। दूर देश में बसे ऐसे लड़के खुद को पूरी तरह सुरक्षित समझते हैं। कई मामलों में तो यह भी सामने आया है कि यहां शादी कर परदेस लौटे दूल्हों का पता-ठिकाना तक गलत निकलता है। ऐसे मामलों में मुकदमा दर्ज होने और न्यायिक प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी ज्यादातर मामले किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाते।

इस तरह के उत्पीड़न और धोखेबाजी से बचाने के लिए बीते साल ही केंद्र सरकार ने ऐसी शादियों को पंजीकृत कराने का कदम उठाया है। दरअसल, एनआरआइ लोगों के बारे में ज्यादा जानकारी न होने की वजह से ऐसी शादियां हो जाती हैं। कई बार लड़के और उसके परिवारजन बहुत कम समय के लिए भारत आते हैं तो जल्दबाजी में रिश्ता तय होता है, जिसके चलते लड़कियों को आगे चल कर कई तरह का उत्पीड़न सहने को मजबूर होना पड़ता है। शादी करने के बाद दुल्हन को भारत में ही छोड़ जाने के अलावा भी ऐसे वैवाहिक रिश्तों में कई शिकायतें सामने आती रही हैं। जैसे कई दूल्हे भारत में शादी करने के तुरंत बाद गायब हो गए। ऐसे प्रवासी पति भी बहुत हैं जो अपनी पत्नी को भारत आने से रोकते हैं। उन एनआरआइ पतियों की संख्या भी कम नहीं है जो अपनी पत्नी को विदेश ले जाकर छोड़ देते हैं। इनमें ऐसे प्रवासी परिवार भी शामिल हैं जो महिला को तो भारत भेज देते हैं, लेकिन बच्चों को सौंपने से इनकार कर देते हैं। पराये देश जाकर सुखी गृहस्थी बसाने के सपने देखने वाली बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार भी हुआ है कि एनआरआइ पति दूसरे देश के एयरपोर्ट पर लेने तक नहीं आते और उनके पास पति का सही पता तक नहीं होता। ऐसी धोखेबाजी सफल भी रहती है, क्योंकि कई अप्रवासी लड़के तो सोची-समझी रणनीति के तहत ऐसी शादियां करते हैं।

विडंबना ही है कि ऐसे उत्पीड़न और धोखेबाजी के बावजूद हमारे यहां दूसरे देशों में बसे परिवारों में बेटियां ब्याहने को लेकर गजब का उन्माद देखने को मिलता है। खुशियों की चाह में खोये अभिभावक उन परिवारों की छानबीन तक नहीं करते। विदेशी संस्कृति को अपनाने के बावजूद अपनी जड़ों से जुड़े होने की बात करने वाले भावी दूल्हे के परिवार बहुओं के सम्मान की कोई चिंता नहीं करते। कहने को खुलेपन की सोच और शिक्षित पृष्ठभूमि से आने वाले कई परिवार तो दहेज में मोटी रकम भी वसूलते हैं। इन सब घटनाओं के बावजूद एनआरआइ दूल्हों की मांग आज भी कम नहीं हुई है।

पढ़ने की दहलीज

दुनिया मेरे आगे

कालू राम शर्मा

बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। स्कूल आने के पहले बच्चा भाषा की समझ बना लेता है। भाषा की तासीर मौखिक होती है। इसके साथ ही और भी जुमले स्कूली शिक्षा में अमूमन व्याप्त हैं और बड़े ही शब्दाडंबर के साथ इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सही मायनों में बच्चों के साथ भाषा शिक्षण करना टेढ़ी खीर से कम नहीं! विडंबना यह कि 'असर-2018' की रिपोर्ट भी यही बताती है कि हमारे यहां के बच्चे पढ़ना नहीं सीख पा रहे। आखिर क्यों? मुझे लगता है कि हमारे शिक्षक प्रशिक्षणों और तमाम कार्यशालाओं में भाषा शिक्षण के तहत असल मुद्दे नदारद रहते हैं जो शिक्षकों की तैयारी के लिए जरूरी हैं।

प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के सीखने-सिखाने के सवाल को हमारे यहां ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता। ऐसा लगता है कि शुरुआती कक्षाओं में बच्चों का सीखना-सिखाना आम बात है। यही धारणा स्कूल से लेकर कमोबेश उच्च स्तर पर भी दिखाई देती है। इसके चलते बच्चे भाषायी क्षमता में कुशल नहीं हो पाते। भाषायी क्षमता में प्रारंभिक स्तर पर सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना वे हुनर हैं, जिन पर बच्चों की पकड़ बनाने पर जोर तो दिया जाता है, मगर ढाक के तीन पात। मैंने पाया है कि भाषा शिक्षण में कार्य करने वाले लोग इन चारों हुनर को एकरेखीय और क्रमबद्ध सिखाने में भरोसा करते हैं। जबकि पहले दो सुनना और बोलना आपस में गुथे हुए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि स्कूल आने वाला बच्चा पहले सुनना सीखेगा और फिर बोलना! यह जरूर है कि बच्चों को स्कूली माहौल में अधिक से अधिक सुनने-बोलने के अवसर मिलें।

गिजु भाई बच्चों को अपने संदर्भ और परिवेश की कहानियां सुनाते थे। वे बिल्कुल छोटे बच्चों को पढ़ना सिखाने की हड़बड़ी में नहीं थे। कहानियां सुनाना भाषा शिक्षण की पहली सीढ़ी है जहां वे सुनने के हुनर के लिए तैयार होते हैं। जाहिर है कि कहानी के पात्र, घटना आदि पर बच्चे सोचते हैं और कुछ व्यक्त भी करते हैं। अगर बच्चे कहानी सुन रहे हैं तो इसका अर्थ है कि उनके संज्ञानात्मक स्तर पर हलचल हो रही है और वे कहानी के पात्रों की तासीर, घटनाओं के क्रम और अर्थ आदि को पकड़ पा रहे हैं। वास्तव में पढ़ना-लिखना सिखाने के पहले बच्चों में सोचने-समझने का ढांचा निर्माण करना बेहद जरूरी होता है, जिसका अभाव प्राथमिक स्कूली शिक्षा में दिखाई देता है। हर कोई बच्चों से अपेक्षा करता है कि वह पढ़ना और लिखना सीख जाए। लेकिन ये दोनों हुनर उस सोचने-समझने की नींव पर ही विकसित किए जा सकते हैं। मेरी जानकारी में एक स्कूल है, जिसका यहां जिक्र प्रासंगिक होगा जहां बच्चों को पढ़ने का दबाव नहीं बनाया जाता। फिर भी वहां से निकलने वाला हर बच्चा पढ़ना सीख लेता है। वजह साफ है कि बच्चों को पढ़ना सिखाने के लिए उचित वातावरण दिया जाता है।

दरअसल, प्राथमिक स्कूल में बच्चा जैसे ही भर्ती होता है, उसे पढ़ना सिखाने के लिए वर्णमाला के अर्थहीन गहरे कुएं में धकेल दिया जाता है। वहां उसे वर्णमाला, बारहखड़ी, सरल शब्दों को सिखाने की प्रक्रिया में उलझाया जाता है। वर्णमाला वगैरह सिखाने के लिए हमारे शिक्षा जगत में एक से एक कथित तरीके और गतिविधियों के निर्माण में ऊर्जा बरबाद होती है। हमारे यहां आज भी वर्णमाला सिखाने को लेकर नए-नए तरीके ईजाद किए जाते हैं, जिन्हें हम 'नवाचार' की श्रेणी में शुमार करते रहते हैं। लेकिन इस पर कभी सवाल उठाने की जहमत नहीं उठाई जाती कि आखिर ये पढ़ना सिखाने के लिए कितने कामयाब प्रक्रिया है भी या नहीं। लिहाजा, इस पर अगर सवाल उठाए भी जाएं तो वयस्कों द्वारा दलील यह दी जाती है कि हम भी तो वर्णमाला पढ़ कर ही यहां तक पहुंचे हैं।

वर्णमाला के जरिए पढ़ना सीखने की प्रक्रिया उबाऊ और लंबी होती है। पढ़ना सीखने में स्कूली परिवेश के साथ ही घर का वातावरण भी मायने रखता है। आज सर्व साधारण की शिक्षा को लेकर हम जहां खड़े हैं वहां वर्णमाला पद्धति बोझिल होकर पढ़ने से विमुख कर देती है। सवाल यह भी है कि हमने पढ़ने को सीमित दायरे में लिया है। पढ़ना दरअसल पढ़ कर समझना और उस पर चिंतन करना भी है। खासकर प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों के लिए थकाऊ और उबाऊ है। स्कूलों में एक ही तरह की गतिविधियां होती हैं जो बचपन की तासीर से मेल नहीं खातीं। स्कूली शिक्षा और खासकर प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ने के हुनर को पोषित करने के लिए पाठ्य-पुस्तकों को भी दरकिनार करना होगा। अगर बेहतर पाठ्य-पुस्तकें बना भी दी जाएं तो वे पढ़ना सिखाने में अहम भूमिका अदा नहीं कर सकतीं। इसके लिए स्कूलों में बाल साहित्य उपलब्ध कराना और उसके इस्तेमाल के हुनर को विकसित करना होगा।

'असर' और अन्य अध्ययनों की रिपोर्ट आंखें खोलने के लिए पर्याप्त हैं जहां मिडिल स्कूल में पहुंच कर बच्चे दूसरी कक्षा की पाठ्यपुस्तक नहीं पढ़ पाते। इसका हल प्रारंभिक स्तर की कक्षाओं में खोजना होगा और उसे अमल में लाना होगा।

चौपाल

सुरक्षा का तकाजा

बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ट्रेनिंग कैंप पर हवाई हमले के बाद हर भारतीय जोश में है। यह जोश उस वक्त और बढ़ गया जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के घुसपैठिये एफ-16 लड़ाकू हवाई जहाज को मार गिराया। जांबाज पायलट अभिनंदन एफ-16 को मार गिराने के दौरान गलती से पाकिस्तान सीमा में पहुंचे तो भी पाकिस्तान को उन्हें लौटाने पर मजबूर होना पड़ा। इससे इन दिनों हर भारतीय का सीना चौड़ा है और उसे लगता है कि हमने पाकिस्तान को सही सबक सिखाया है; अब शायद ही पाकिस्तान की हिम्मत हो हमसे टकराने की! लेकिन खुफिया जानकारियां कहती हैं कि आतंकी संगठनों को सामने रख कर पाकिस्तान फिर से हमला करा सकता है। इस बार हमला ड्रोन के जरिए संभावित है। इसमें हवाई अड्डों को निशाना बनाने की आशंका जताई है। इसके अलावा आतंकी आत्मघाती हमलों को भी अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में जमीनी और आसमानी दोनों तरह के खतरों से सतर्क रहने की जरूरत है।

इस खुफिया जानकारी के बाद ही ड्रोन हमलों की संभावना के मद्देनजर देश के सभी हवाई अड्डों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यह भी तय हो गया है कि देश के 61 हवाई अड्डों पर सुरक्षा के लिए तैनात सीआइएसएफ, वायुसेना और एयर ट्रैफिक कंट्रोल मिल कर काम करेंगे। यदि ड्रोन 600 मीटर तक की ऊंचाई पर है तो सीआइएसएफ उसे मार गिराने में सक्षम है लेकिन यदि ऊंचाई इससे ज्यादा रहती है तो उसके लिए वायुसेना कार्रवाई करेगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि सीआइएसएफ और वायुसेना दोनों ही ऐसे हमलों से निपटने में सक्षम हैं लेकिन जमीनी हमले से बचाव के लिए हमारे पास कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं है। इसमें भी आत्मघाती हमलों के सामने हर बार बेबसी ही झलकती है। खुफिया एजेंसियों की सूचनाओं के बाद बहुत बार हमारे स्थानीय खुफिया तंत्र की विफलता या गैर जिम्मेदाराना रवैया हमलों की वजह बनता है। यदि पर्याप्त चौकसी के साथ ही एक स्थानीय खुफिया तंत्र और पुलिस विभाग मुस्तैदी के साथ काम करें तो आतंकियों के मंसूबों को समय से पहले ही ध्वस्त किया जा सकता है।

इतिहास गवाह है कि ज्यादातर आतंकी हमलों में स्लीपर सेल और स्थानीय मददगारों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। इन जांच बिंदुओं पर यदि गंभीरता के साथ काम किया जाए तो आतंकियों के बहुत सारे नापाक प्रयास विफल हो सकते हैं। देखा जाए तो सैन्य प्रतिष्ठानों, महत्त्वपूर्ण सरकारी भवनों और संस्थाओं आदि की सुरक्षा को लेकर हमारे पास एक तंत्र है लेकिन भीड़भाड़ वाली जगहों, मॉल-बाजारों, यहां तक कि रेलगाड़ियों आदि में आम लोगों की सुरक्षा के लिए हमारे पास कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं है। हम सभी को इस पर भी गौर करने की जरूरत है तभी जाकर हम आतंकवाद के जमीनी और आसमानी दोनों प्रकार के खतरों से सुरक्षित रह सकते हैं।

● *अमन सिंह, प्रेमनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश*

बहाने राजनीतिक पार्टियां धर्म और समुदाय के नाम पर केवल वोट की राजनीति कर रही हैं। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संवैधानिक संस्था है और उसे किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं होता। पर अब विपक्ष इस पर भी सवाल खड़े करने लगा है। कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी सीबीआई तो कभी चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करना तो नेताओं की आदत बन चुका है। राजनीति की आड़ में देश की संवैधानिक संस्थाओं पर अविश्वास कर एक तरह से लोकतंत्र को तिरस्कृत किया जा रहा है।

● *शुभम गुप्ता, धनबाद, झारखंड*

> किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश
>
> आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

जानलेवा प्रदूषण

वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसका निवारण अभी तक नहीं हो पाया है। इस प्रदूषण में जितना भाग कारखानों का है उतना ही गाड़ियों का भी है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्ट (आईसीसीटी) ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि गाड़ियों के धुएं से लोगों की सांसें छिन रही हैं। इनके धुएं से पीएम 2.5 की मात्रा में बढ़ोतरी के साथ ही और ओजोन की परत पर बुरा असर पड़ा है। 2015 की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा प्रदूषण वाले देशों में भारत दूसरे स्थान पर रहा और सूचीबद्ध शहरों में दिल्ली का स्थान छठा रहा। छह दिसंबर को लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ में प्रकाशित एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में पाया गया कि 2017 में कम से कम 12.5 फीसद मौतें सांस संक्रमण, हृदय रोग, फेफड़ों के कैंसर और मधुमेह (जो कुछ प्रतिशत मामलों में गंभीर वायु प्रदूषण का परिणाम है) से हुई हैं।

● *मौ वाजिद अली, अंबेडकर कॉलेज, दिल्ली*

करनी का फल

पाकिस्तान के आतंकवाद को विश्व के सामने लाने के प्रयासों में भारत को अभूतपूर्व सफलता मिली है। भारत के अंतरराष्ट्रीय कूटनीति को साधने का ही नतीजा रहा कि पाकिस्तान शेष विश्व से लगभग अलग-थलग पड़ गया है। इसी कूटनीति दबाव के चलते उसे भारत के एक पायलट को लगभग चौबीस घंटे में ही बिना शर्त रिहा करना पड़ा। सारा विश्व जानता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का पोषक है और पिछले दो-तीन दशकों से वह इस्लामिक आतंकवाद का सिरमौर बना बैठा है।

यह सही है कि अमेरिका ने ही अफगानिस्तान में सोवियत संघ की मौजूदगी के खिलाफ पाकिस्तान को आतंक की फैक्ट्री स्थापित करने में मदद की थी। जब उस फैक्ट्री से फल-फूल कर अनेक फैक्ट्रियां बन गईं और वे स्वयं अमेरिका के खिलाफ खड़ी हो गईं तब अमेरिका को अपनी भूल का अहसास हुआ। भारत पिछले चालीस वर्षों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से पीड़ित है। पुलवामा हमले के बाद पैदा हालात ने भारत को सहनशीलता का चोला उतार फेंकने पर मजबूर कर दिया और भारतीय वायु सेना ने बालाकोट में कार्रवाई कर पाकिस्तान को उसकी करनी का फल चखा दिया। कंधार कांड या मुंबई हमले के बाद भी अगर ऐसी कार्रवाई हो गई होती तो भारत को शायद आतंकवाद के इतने दंश न झेलने पड़ते। ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिससे पाकिस्तान पोषित आतंकवाद पर पूरी तरह लगाम लग जाएगी, लेकिन भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध जो आक्रामक नीति अपनाई है, उसे नए युग की शुरुआत समझा जाना चाहिए और इसके सुखद परिणाम अवश्य आएंगे।

● *सतप्रकाश सनोठिया, रोहिणी, नई दिल्ली*